पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
वेबसाईट : www.shekhauni.ac.in ई–मेल : reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं. : 01572-232411

क्रमांक : प.10 ( ) संस्थापन / प्रबंध बोर्ड / 2020-21 / 11432 दिनांक : 28.05.2022

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28.05.2022 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28.05.2022 को प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर के कुलपति सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:–

क्र.सं	नाम	पद नाम	पदेन
01	डॉ. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
02	श्री जे. पी. चंदेलिया	माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र पिलानी	सदस्य
03	डॉ. के. डी. स्वामी	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
04	डॉ.एम.एस. पूनिया	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
05	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर	सदस्य
06	डॉ. डी. एस. थालौड़	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	सदस्य
07	डॉ. पुष्पा चौधरी	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
08	डॉ. ऋचा कुलश्रेष्ठ	प्राचार्य, निजी महाविद्यालय राज्य सरकार प्रतिनिधि	सदस्य
09	श्री रतन कुमार	कुलसचिव	सदस्य सचिव

समिति के सदस्य श्री जे. पी. चंदेलिया, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र पिलानी, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा ऑनलाईन गुगल मीट (Google Meet) प्लेटफॉर्म से बैठक में सम्मिलित हुये।

प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य श्री राजेन्द्र पारीक, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सीकर, प्रमुख शासन सचिव वित, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित डॉ. राहुल सिंह व डॉ. शम्भु उपाध्याय एवं राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित डॉ. शम्भु दयाल गुप्ता, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी आगुन्तक सदस्यों हार्दिक स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये :–

Item Agenda (मद) 1 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 30.12.2021 के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –I)

निर्णयः पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 2 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 30.12.2021 के अनुपालना प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –II)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट II में अनुपालना प्रतिवेदन (ATR) का अनुमोदन इस प्रेक्षण (Observation) के साथ किया गया किः

i. एजेण्डा 6 में संशोधित स्टेच्यूट एवं अध्यादेश बनवाने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के विधि विभाग के प्रोफेसर से संपर्क कर कार्य संपादित करवाया जाये।
ii. एजेण्डा 14 में डॉ. जसवंत सिंह खीचड़, सेवानिवृत उपकुलसचिव को स्थिर पारिश्रमिक पर रखे जाने के लिए स्वीकृति हेतु उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग को पुनः स्मरण पत्र लिखा जावे।
iii. श्री दीनदयाल शर्मा, प्राध्यापक हिंदी, पोद्दार टी.टी. महाविद्यालय, नवलगढ़ के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में संबंधित महाविद्यालय को पत्र लिखकर उससे स्पष्ट तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत करवाये एवं आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक में रखा जाये।

Item Agenda (मद) 3 :– विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.01.2022 एवं 11.05.2022 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –III)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट III का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 4 :– विश्वविद्यालय में प्रस्तावित संविधान पार्क हेतु आर.एस.आर.डी.सी. के पत्र क्रमांक PD/Sikar/2021-22/1476 दिनांक 23.03.2022 द्वारा संशोधित तकमीना व राशि पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –IV)

निर्णयः संशोधित तकमीना व राशि का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 5 :– विश्वविद्यालय को नवीन आवंटित भूमि खसरा नं. 2237/637 रकबा 11.83 हेक्टेअर के अन्दर ग्रामवासियों के आवागमन हेतु ग्रेवल के रास्ते को बंद करने पर यूआईटी द्वारा आवंटित 12 मीटर के रास्ते पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –V)

निर्णयः आवंटित रास्ते पर 5.50 मीटर चौड़ी ग्रेवल रोड़ बनवाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 6 :– सत्र 2020–21 एवं 2021–22 की सम्बद्धता हेतु कुछ महाविद्यालयों को पूर्ववर्ती तिथि से जारी की गई सम्बद्धता का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VI)

निर्णयः महाविद्यालयों की सम्बद्धता का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 7 :– ब्लूम कॉलेज, चिड़ावा, झुन्झुनू के द्वारा कूटरचित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एवं सम्बद्धता प्रस्तुत किए जाने पर उसकी सम्बद्धता रद्द किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –VII)

निर्णयः ब्लूम कॉलेज, चिड़ावा, झुन्झुनू की विश्वविद्यालय से हमेशा के लिए (Forever) सम्बद्धता रद्द किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :– सेठ जी.बी. पोदार महाविद्यालय, नवलगढ़, झुन्झुनू के कूटरचित दस्तावेज पाये जाने पर उसकी सम्बद्धता पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –VIII)

निर्णयः सेठ जी. बी. पोदार महाविद्यालय, नवलगढ़, झुन्झुनू के कूटरचित दस्तावेजों की जांच करने हेतु समिति का गठन किया गयाः

1. प्रोफेसर एम. एस. पूनिया, प्रबंध बोर्ड सदस्य
2. डॉ. अशोक कुमार गोदारा, संकायाध्यक्ष शिक्षा

उक्त समिति संबंधित दस्तावेजों की जांच कर जांच प्रतिवेदन आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 9 :– डॉ. आर. जी. शर्मा, पूर्व प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़, झुंझुनू के प्रार्थना पत्र पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –IX)

निर्णयः मद स्थगित किया गया।

Item Agenda (मद) 10 :– विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करते समय किसी भी पाठ्यक्रम या विषय को संचालित करने हेतु निर्धारित सीट आवंटित की जाती हैं। यदि महाविद्यालयों द्वारा इन अधिकतम सीटों से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं, तो उन महाविद्यालयों पर लगाई जाने वाली शास्ति एवं ऐसे छात्रों के प्रवेश के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः अधिकतम सीटों से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर महाविद्यालय पर रू. 10,000 प्रति छात्र शास्ति लगाई जाने का निर्णय लिया गया एवं ऐसे विद्यार्थियों को स्वयंपाठी किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 11 :–आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के द्वारा जारी प्रवेश नीति में वर्णित शर्तों के अलावा यदि विद्यार्थी एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण

२५

करवाकर प्रवेश लेता है तो प्रवेश देने वाले महाविद्यालय पर प्रति छात्र लगाई जाने वाली शास्ति के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः प्रवेश देने वाले महाविद्यालय पर रू. 10,000 प्रति छात्र शास्ति लगाई जाने का निर्णय लिया गया एवं ऐसे विद्यार्थियों को स्वयंपाठी किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 12 :–आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के द्वारा जारी प्रवेश नीति में किसी भी पाठ्यक्रम या विषय में न्यूनतम छात्र संख्या होने पर ही वह पाठ्यक्रम या विषय उस सत्र में संचालित किया जाता है। यदि महाविद्यालयों ने इस न्यूनतम संख्या का पालन नहीं करते हुए पाठ्यक्रम या विषय संचालित किए हैं, तो उन महाविद्यालयों पर लगाई जाने वाली शास्ति एवं ऐसे छात्रों के प्रवेश के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः पाठ्यक्रम या विषय में न्यूनतम छात्र संख्या नहीं होने पर महाविद्यालय पर रू. 10,000 प्रति छात्र शास्ति लगाई जाने का निर्णय लिया गया एवं ऐसे विद्यार्थियों को स्वयंपाठी किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 13 :–आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के द्वारा जारी प्रवेश नीति के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष के स्वयंपाठी विद्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया जाता है। यदि महाविद्यालय द्वारा 50 प्रतिशत से कम अंक अर्जित करने पर स्नातक द्वितीय वर्ष में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश दिया जाता है तो उस महाविद्यालय पर प्रति छात्र लगाई जाने वाली शास्ति के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः महाविद्यालय पर रू. 10,000 प्रति छात्र शास्ति लगाई जाने का निर्णय लिया गया एवं ऐसे विद्यार्थियों को स्वयंपाठी किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 14 :– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में योग्यताधारी प्राचार्य नियुक्त नहीं होने की स्थिति में लगाई जाने वाली शास्ति के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –X)

निर्णयः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों में योग्यताधारी प्राचार्य नियुक्त नहीं होने की स्थिति में रू. 1.00 लाख शास्ति लगाई जाने का निर्णय किया गया एवं अयोग्य प्राचार्य को तत्काल हटाये जाने का निर्णय भी किया गया।

Item Agenda (मद) 15 :– वित्त एवं लेखा विभाग ने प्रतिवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 का बजट अनुमोदन नहीं होने के कारण बजट अनुमोदन होने तक लेखा अनुदान (On Account Budget) की स्वीकृति प्रदान करें।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – X)

निर्णयः बजट अनुमोदन होने तक लेखा अनुदान (On Account Budget) की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय किया गया।

टेबल एजेण्डा

Table Agenda (मद) 1 :– ऐसे महाविद्यालय जिनके पास विषय विशेष की सम्बद्धता नहीं होते हुए भी उस विषय में छात्रों को प्रवेश देते हैं, तो उन महाविद्यालयों पर लगाई जाने वाली शास्ति एवं ऐसे छात्रों के प्रवेश के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः महाविद्यालय पर रू. 10,000/– प्रति छात्र शास्ति लगाने का निर्णय किया गया एवं ऐसे विद्यार्थियों को स्वयंपाठी किये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 2 :–ऐसे महाविद्यालय जो कुछ विद्यार्थियों के पास प्रवेश की पात्रता नहीं होने के बावजूद भी प्रवेश देते हैं, तो उन महाविद्यालयों पर लगाई जाने वाली शास्ति एवं ऐसे छात्रों के प्रवेश के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः महाविद्यालय पर रू. 50,000/– प्रति छात्र शास्ति लगाने का निर्णय किया गया एवं ऐसे विद्यार्थियों को स्वयंपाठी किये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 3 :–राकेश पी.जी. महाविद्यालय, पिलानी एवं इन्दिरा प्रियदर्शिनी महाविद्यालय, दांतारामगढ़ की राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्र 2021–22 के अंत में जारी करने (अप्रैल, 2022 अंतिम सप्ताह में) के कारण उनकी सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः राकेश पी.जी. महाविद्यालय, पिलानी एवं इन्दिरा प्रियदर्शिनी महाविद्यालय, दांतारामगढ़ की राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्र 2021–22 के अंत में जारी करने (अप्रैल, 2022 अंतिम सप्ताह में) के कारण उनकी सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय किया गया। सत्रांत में देरी से जारी होने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र पर उन्हें आगामी वर्ष से सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 4 :–विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु महाविद्यालयों द्वारा प्रति अतिरिक्त विषय की फीस का चार गुणा जमा करवाया जा रहा है, जबकि स्थायी सम्बद्धता हेतु बेसिक फीस का चार गुणा जमा करवाया जाना चाहिए। स्थायी सम्बद्धता हेतु फीस निर्धारण के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता हेतु बेसिक फीस का चार गुणा जमा करवाये जाने का निर्णय किया गया। वे राजकीय महाविद्यालय जिनका गठन किसी अन्य राजकीय महाविद्यालय के विभाजन (bifurcation) से हुआ है, उनकी स्थायी सम्बद्धता के संबंध में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर से मार्गदर्शन मांगा जाये।

Table Agenda (मद) 5 :– सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1(38)आरबी/2015/6462 दिनांक 21.08.2017 को अंगीकार करने के संबंध में विचार एवं निर्णय। (कार्य सूची की परिशिष्ट – XI)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट XI को अंगीकार किया गया।

Table Agenda (मद) 6 :– राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति विश्वविद्यालय के अधिकारियों कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव के टेलीफोन बिल (Basic+Mobile+Internet+ Broad Band Facility) की प्रतिपूर्ति के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – XII)

निर्णयः राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की भांति विश्वविद्यालय के अधिकारियों कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव के टेलीफोन बिल (Basic+Mobile+Internet+ Broad Band Facility) की प्रतिपूर्ति हेतु वास्तविक बिल की राशि या रू. 1750/– इनमें से जो भी न्यूनतम हो, प्रदान करने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 7 :– राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति विश्वविद्यालय के अधिकारियों कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव के सत्कार भत्ता (दो समाचार पत्र, रिफ्रेशमेन्ट, चाय, घर से कार्यालय तथा कार्यालयी कार्य से राजस्थान/भारत सरकार के अन्य कार्यालयों (स्थानीय एवं बाह्य क्षेत्रों में अवस्थित) में विजिट करने) के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – XII)

निर्णयः राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति विश्वविद्यालय के अधिकारियों कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव के सत्कार भत्ता (दो समाचार पत्र, रिफ्रेशमेन्ट, चाय) हेतु रू. 2500 प्रति माह प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया एवं घर से कार्यालय तथा कार्यालयी कार्य से राजस्थान/भारत सरकार के अन्य कार्यालयों (स्थानीय एवं बाह्य क्षेत्रों में अवस्थित) में विजिट करने की अनुमति प्रदान की गई।

Table Agenda (मद) 8 :–राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों प्रबंध बोर्ड, वित्त समिति, विद्या परिषद्, अध्ययन बोर्ड, निरीक्षण बोर्ड, भवन निर्माण समिति, संकायाध्यक्ष समिति, परीक्षा समिति, बी. ओ. आई. सब कमेटी, ग्रीवेन्स समिति, यू. एम. समिति, खेल बोर्ड, रिसर्च बोर्ड एवं अन्य समस्त समितियों की बैठक में जलपान व्यवस्था करवाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों प्रबंध बोर्ड, वित्त समिति, विद्या परिषद्, अध्ययन बोर्ड, निरीक्षण बोर्ड, भवन निर्माण समिति, संकायाध्यक्ष समिति, परीक्षा समिति, बी. ओ. आई. सब कमेटी, ग्रीवेन्स समिति, यू. एम. समिति, खेल बोर्ड, रिसर्च बोर्ड एवं अन्य समस्त समितियों की बैठक में जलपान व्यवस्था करने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 9 :–विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से बाहर अन्य दूरस्थ स्थानों से आने वाले प्रोफेसर एवं अन्य विषय विशेषज्ञ व्याख्यान देने हेतु, विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों में भाग लेने हेतु आते हैं, को लंच की व्यवस्था प्रदान करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

२५

निर्णयः संबंधित विभाग द्वारा संस्तुत किये जाने पर माननीय कुलपति महोदय को अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत किये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 10 :— प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1 (4) (22) आरबी/2018 पार्ट/13682 दिनांक 11.03.2022 के अनुसार SUMS का क्रियान्वयन करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – **XIII**)

निर्णयः मद विस्तृत एवं गहन विचार–विमर्श हेतु आगामी बैठक के लिए स्थगित किया गया।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु</u>

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की।

कुलसचिव